

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2012

मद क्रमांक 1

राज्यपाल के सचिवालय के अन्तर्गत आतिथ्य पर रुपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2051

मद क्रमांक 2 - 3

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत वेतन तथा ग्रेड पे में रुपये 45.55 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,55,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 4-5

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत रुपये 214.32 लाख का व्यय वेतन, महंगाई भत्ता, ग्रेड पे आदि मद में अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,14,32,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां (परामर्श सेवायें) हेतु स्वीकृत बजट से रुपये 46.53 लाख का अधिक व्यय होना संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 46,53,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 7

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण व्यूरों के अन्तर्गत वेतन मद में रुपये 30.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 8 - 10

मुख्य तकनीकी परीक्षक के अन्तर्गत वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता एवं मकान किराया मद में रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2251

मद क्रमांक 11

मुख्य शीर्ष-2251 सचिवालय-सामाजिक सेवायें वेतन भत्ते मद अन्तर्गत रुपये 384.71 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,84,71,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

मध्यांचल भवन, नई दिल्ली के भवन निर्माण पर स्वीकृत बजट से रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	02
मुख्य शीर्ष	2070

मद क्रमांक 1 - 2

विशेष जांच आयोग के अन्तर्गत वेतन, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में रुपये 13.20 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	03
मुख्य शीर्ष	2055

मद क्रमांक 1 - 7

महानिरीक्षक पुलिस के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, ग्रेड-पे, लेखन सामग्री, अन्य भत्ते तथा बिजली एवं जलप्रभार आदि मदों में रुपये 2,66,46,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,66,46,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8-9

पुलिस प्रशिक्षण शालायें, पुलिस अकादमी सागर अन्तर्गत वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय आदि मदों में रुपये 82,01,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 82,01,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10-15

नारकोटिक्स विंग के सुदृढ़ीकरण हेतु रुपये 21.10 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। इसके अलावा आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता के अन्तर्गत वेतन भत्ते, मजदूरी, ग्रेड पे व अन्य भत्तों के लिये रुपये 92,79,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,13,89,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16 - 19

लोक अभियोजन संचालनालय के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा ग्रेड पे मद में रुपये 4,21,55,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,21,55,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20 - 23

विशेष पुलिस के अन्तर्गत वेतन, भत्ते, मजदूरी, महंगाई भत्ते के अन्तर्गत रुपये 12,81,20,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,81,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24

भारत सरकार की नक्सलवादी योजना अन्तर्गत स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम हेतु रुपये 2.93 करोड़ का अग्रिम राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत

किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 2,93,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25

गृह विभाग के अन्तर्गत भूमि का क्रय/अधिग्रहण करने हेतु बजट में रुपये 19.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 26 - 27

स्कीम कोड (0108) अतिरिक्त पुलिस संरक्षक अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्तों में रुपये 2,60,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 28 - 31

स्कीम कोड (0109) अतिरिक्त पुलिस संरक्षक अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, ग्रेड पे में रुपये 2,59,93,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है। राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,59,93,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32 - 34

स्कीम कोड (0194) अन्य पुलिस अन्तर्गत वेतन भत्ते, ग्रेड पे में रुपये 22,98,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है। राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,98,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 35 - 71

स्कीम कोड 0343, 1116, 1816, 2712, 3776, 4451, 4491, 4582, 9070, 5259, 2634, 0783, 4155, 4011 में दर्शित मद वेतन, भत्ते, महंगा भत्ता, ग्रेड पे, अन्य भत्ते मदों में रुपये 33,47,14,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है। राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,47,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 72

भारत सरकार द्वारा एस.आर.ई. योजना अन्तर्गत सुरक्षात्मक कार्यों पर रुपये 10.87 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,87,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 73 - 79

अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण, अग्निशमन केन्द्र पीथमपुर, पुलिस अग्निशमन दल इंदौर, अग्निशमन दल मंतालय भोपाल, अग्निशमन दल मालनपुर के अन्तर्गत वेतन भत्ते मद में रुपये 8,91,30,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,91,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 80

प्रदेश की अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु मशीनें एवं संयंत्र के लिये रुपये 1,26,77,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,26,77,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	04
मुख्य शीर्ष	2070

मद क्रमांक 1 - 3

अधीक्षक, स्टैट गैरेज के अन्तर्गत रुपये 33.87 लाख का अतिरिक्त व्यय वेतन, महंगाई भत्ता, ग्रेडपे एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अन्तर्गत होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,87,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 5

संपदा संचालनालय के अन्तर्गत वेतन, भत्ते, मजदूरी मद में रुपये 10.15 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2235
-------------	------

मद क्रमांक 6 - 11

संचालक सैनिक कल्याण के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा परिवहन व्यवस्था में रुपये 23,36,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,36,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4235
-------------	------

मद क्रमांक 12

संचालक सैनिक कल्याण के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य के लिये रुपये 15,40,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	05
मुख्य शीर्ष	2056

मद क्रमांक 1 - 21

जेल मुख्यालय के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, ग्रेड-पे, दूरभाष व्यय, अभिभाषकों की फीस, विशेष सेवाओं हेतु मानदेय, दवाईयों का क्रय तथा राशन का मूल्य/भोजन व्यय मदों में स्वीकृत बजट से रुपये 116154.00 लाख का अधिक व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,61,54,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	06
मुख्य शीर्ष	2075

मद क्रमांक 1

गृह निर्माण/भूखण्ड अग्रिम/कम्प्यूटर क्रय अग्रिम की बकाया माफ राशि एवं ब्याज राशि के समायोजन हेतु राशि रुपये 2,45,100 की आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2235
-------------	------

मद क्रमांक 2

पेंशनर कल्याण कोष के लिये राशि रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	07
मुख्य शीर्ष	2039

मद क्रमांक 1

देशी मंदिरा प्रदाय के लिये स्पिरिट की खरीदी हेतु रुपये 10.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	08
मुख्य शीर्ष	2029

मद क्रमांक 1 - 2

आयुक्त भू-अभिलेख के अंतर्गत केन्द्र क्षेत्रीय योजना में वेतन एवं ग्रेड-पे हेतु राशि रुपये 2.92 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि भारत सरकार से प्राप्त होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,92,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 5

राजस्व विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के भू-धारकों को ग्रामीण क्षेत्रों में खसरा एवं बी-1 की निःशुल्क नकल की प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु रुपये 266.00 लाख एवं वेतन भत्ते तथा ग्रेड-पे हेतु रुपये 2652.25 लाख कुल रुपये 2918.25 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। वेतन भत्ते एवं ग्रेड-पे की राशि रुपये 2652.25 लाख की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 29,18,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण के लिये नेशनल लेण्ड रिकार्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत 10 जिलों में डाटा सेन्टर एवं राजस्व कार्यालयों की स्थापना हेतु राशि रुपये 3424.63 लाख का अतिरिक्त व्यय राज्यांश एवं राशि रुपये 3424.13 लाख केन्द्रांश का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 68,48,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

भू-अभिलेख का अद्यतीकरण का राष्ट्रीय कार्यक्रम मद में वित्तीय वर्ष 2001-02 एवं 2007 की अव्ययित राशि क्रमशः रुपये 100.35 लाख एवं रुपये 23.746 लाख कुल रुपये 124.096 लाख के व्यय की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त की गयी है। यह राशि इसी वित्तीय वर्ष में व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,24,09,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2052
-------------	------

मद क्रमांक 8 - 14

राजस्व मंडल अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, ग्रेडपे, याता भत्ता, चिकित्सा व्यय, फर्नीचर उपकरण, वाहन क्रय हेतु राशि रुपये 47.46 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। उक्त राशि में से वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता एवं ग्रेड-पे की कुल राशि रुपये 38.14 लाख की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 47,46,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15 - 16

राजस्व विभाग के अन्तर्गत वेतन भत्ते एवं ग्रेड-पे में राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17 - 18

राजस्व विभाग के अन्तर्गत (उप संभागीय स्थापना) वर्ष 2009-10 में वेतन भत्ते एवं ग्रेड-पे में राशि रुपये 14,26,95,000 के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,26,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

जिन कोटवारों के पास सेवा भूमि नहीं है उनके पारिश्रमिक भुगतान हेतु राशि रुपये 7,16,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20 - 24

राजस्व विभाग के अन्तर्गत केन्द्र क्षेत्रीय योजना में वेतन ग्रेड-पे, महंगाई भत्ता मदों में राशि रुपये 27.14 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है, जो केन्द्र शासन से प्राप्त होना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	09
मुख्य शीर्ष	2058

मद क्रमांक 1

प्रदेश के अशासकीय मुद्रणालयों में मुद्रण कार्य हेतु इस वित्तीय वर्ष में अन्य प्रभार मद में राशि रुपये 15.95 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	10
मुख्य शीर्ष	2406

मद क्रमांक 1 - 3

वन विभाग के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता एवं ग्रेड-पे में राशि रुपये 4627.14 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 46,27,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

वन विभाग के अन्तर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश देने हेतु व्याज लाभांश मद में राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 6

वन विभाग के अन्तर्गत वेतन मद एवं ग्रेड-पे में राशि रुपये 800.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

वन विभाग के अन्तर्गत गहन वन प्रबंधन योजना में रुपये 1.08 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है। इस हेतु रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान सम्मिलित किया जाकर शेष राशि की पूर्ति पुनर्विनियोजन द्वारा की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत लोक वानिकी एवं रोपणियों में पैथा तैयार करने हेतु रुपये 2354.00 लाख की आवश्यकता अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,54,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9 - 11

वन विभाग के अन्तर्गत मजदूरी, सामग्री पूर्ति, प्रशिक्षण मद में राशि रुपये 500.00 लाख का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किये गये हैं।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 12

वन विभाग के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण तथा सड़क व पुलों की दुरस्ती हेतु राशि रुपये 4,00,00,000 का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत की गई है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	11
मुख्य शीर्ष	2230

मद क्रमांक 1 - 4

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत स्टीम वायलरों का निरीक्षण हेतु राज्य शासन द्वारा लोक सेवकों को समयमान वेतनमान तथा छठवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर हुये संभावित अतिरिक्त व्यय के कारण रुपये 17.89 लाख की राशि बजट में शामिल की जा रही है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,89,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 11

रोजगार कार्यालय योजना अन्तर्गत छठवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर हुये अतिरिक्त व्यय के कारण रुपये 54.50 लाख की राशि अनुपूरक बजट में शामिल की जा रही है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 54,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12 - 13

उज्जैन में अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों के लिये अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना योजना अंतर्गत छठवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर हुये अतिरिक्त व्यय के कारण रुपये 12,000 की राशि अनुपूरक बजट में शामिल की जा रही है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 14

उद्योग संचालनालय के अन्तर्गत पदों की भर्ती तथा पात्र उम्मीदवारों को याता व्यय के भुगतान हेतु परीक्षा एवं प्रशिक्षण मद में राशि रुपये 15.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15 - 18

मध्यप्रदेश राज्य जिला उद्योग केन्द्र योजना अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा लोक सेवकों को समयमान वेतनमान तथा छठवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर हुये अतिरिक्त व्यय के कारण रुपये 278.28 लाख की राशि अनुपूरक बजट में शामिल की जा रही है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,78,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 19

औद्योगिक कारीडोर विकास निगम में धनवेष्टन योजना में स्वीकृत राशि रुपये 1.00 करोड़ को समर्पित किया गया है। उक्त समर्पित राशि रुपये 1.00 करोड़ का प्रावधान डी.एम.आई.सी. परियोजना हेतु प्रशासनिक तंत्र अन्तर्गत व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3475

मद क्रमांक 20 - 21

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत अन्य व्यवसायिक उपक्रमों के विनियमन हेतु राज्य शासन द्वारा लोक सेवकों को समयमान वेतनमान तथा छठवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर हुये अतिरिक्त व्यय के कारण रुपये 17.64 लाख की राशि बजट में शामिल की जा रही है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,64,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	12
मुख्य शीर्ष	2045

मद क्रमांक 1

वेतन मद में प्रावधानित राशि में रुपये 133.67 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,33,67,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 2

कृषकों के बकाया देयकों के निपटारे हेतु प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ दिये जाने पर रुपये 60.0537 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,05,37,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

टैरिफ अनुदान मद में विद्युत वितरण कंपनियों को राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 55.00 करोड़ का अग्रिम स्वीकृत किया गया था। इसकी प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 55.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 55,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी को बाण सागर जल विद्युत परियोजना एवं मंडीखेड़ा जल विद्युत परियोजना हेतु आवंटित ऋण पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 तक अतिदेय ब्याज की राशि को अंशपूंजी में परिवर्तित करने हेतु रुपये 641.90 लाख के अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,41,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर को राज्य शासन द्वारा सतपुड़ा ताप विद्युत गृह विस्तार इकाई हेतु आवंटित ऋण पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 तक अतिदेय ब्याज की राशि को अंशपूंजी में परिवर्तित करने हेतु रुपये 92.06 लाख के अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 92,06,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों पर राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋणों पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 तक अतिदेय ब्याज (पैनल ब्याज सहित) की राशि को अंशपूंजी में परिवर्तित करने हेतु रुपये 113761.96 लाख के अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,37,61,96,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों पर राज्य सासन द्वारा दिये गये ऋणों पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 तक अतिदेय ब्याज (पैनल ब्याज सहित) की राशि को अंशपूंजी में परिवर्तित करने हेतु रुपये 33084.33 लाख के अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,30,84,33,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

विद्युत वितरण कंपनियों पर बकाया विद्युत शुल्क/उपकर की राशि एवं पॉवर ट्रेडिंग कंपनी पर सरदार सरोवर परियोजना से उत्पादित विद्युत के 50 प्रतिशत के अंश की बकाया राशि रुपये 2310.29 करोड़ की वसूली दर्शाते हुये उतनी ही राशि कार्यशील पूंजी हेतु अल्पावधि ऋण के रूप में कंपनियों को प्रदान की जानी है। इसके अलावा इस वर्ष रुपये 70.00 करोड़ की अतिरिक्त कार्यशील पूंजी हेतु अल्पावधि ऋण की भी आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,80,29,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 1 - 2

संचालक, कृषि के लिये वेतन भत्तों के लिये स्वीकृत बजट से रुपये 10,49,20,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,49,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

खाद गुण नियंत्रण प्रयोगशाला अन्तर्गत खाद एवं उर्वरक अग्रिम व्यवस्था हेतु रुपये 1300.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 9

संचालक, कृषि अभियांत्रिकी के लिये वेतन भत्तों के लिये रुपये 2,33,25,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,33,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4401

मद क्रमांक 10 - 11

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिये विशेष पैकेज के अन्तर्गत गोदाम एवं विपणन अधोसंरचना विकास के लिये रुपये 87,19,14,100 की आवश्यकता है। इस राशि में से रुपये 69,75,46,500 सामान्य हेतु तथा रुपये 17,43,67,600 अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये होगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 87,19,14,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 14
मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 1 - 4

संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के अंतर्गत वेतन भत्तों के लिये रुपये 5,25,91,000 तथा भारित मद में रुपये 1,05,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,25,91,000 के अनुपूरक अनुदान विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 6

बुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत रुपये 1335.40 लाख की आवश्यकता है। इस राशि में से रुपये 267.08 लाख अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,35,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 15
मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 1

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों की पंचयातों के मूलभूत कार्यों के लिये अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत अतिरिक्त रुपये 2708.06 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,08,06,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 16
मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 1 - 3

संचालक, मत्स्योद्योग के लिये वेतन भत्तों के लिये रुपये 3,03,55,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,03,55,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 17
मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 1 - 4

आयुक्त, सहकारिता के लिये वेतन भत्तों के लिये रुपये 5,49,48,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,49,48,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

वैद्यनाथन समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु म.प्र. शासन केन्द्र शासन एवं नाबार्ड के मध्य निष्पादित एम.ओ.यू. अनुरूप पुनर्वास पैकेज में सहकारी बैंक एवं साख सहकारी समितियों को सहायता हेतु राशि रुपये 23,87,48,200 उपलब्ध कराया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,87,48,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 - 7

सहकारी न्यायाधिकरण भोपाल को वेतन भत्ते में रुपये 6.19 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,19,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	18
मुख्य शीर्ष	2210

मद क्रमांक 1 - 9

संचालक कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत छठवें वेतनमान का एरियर्स, वेतन महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, ग्रेडपे तथा दवाईयों का भुगतान करने हेतु रुपये 10,10,50,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः इस प्रयोजन हेतु रुपये 10,10,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2230
-------------	------

मद क्रमांक 10 - 19

श्रमायुक्त के अन्तर्गत छठवें वेतनमान लागू होने के कारण वेतन, महंगाई भत्ता तथा ग्रेड-पे आदि में रुपये 124.06 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,24,06,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20 - 21

पंजीयक औद्योगिक न्यायालय के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि मदों में रुपये 55.76 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 22

केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत प्राप्त राशि से दतिया, जबलपुर, दमोह एवं नरसिंहपुर जिलों में बोड़ी श्रमिकों के आवास गृहों का निर्माण कराया जाना है, जिसपर रुपये 331.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,31,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	20
मुख्य शीर्ष	2215

मद क्रमांक 1-8

कार्यभारित कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु रुपये 30.55 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है। इस हेतु रुपये 30.55 करोड़ की राशि आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में दी गई थी। इसके अलावा दैनिक वेतन घोगी मजदूरों की मजदूरी के भुगतान तथा वेतन भत्तों के भुगतान के लिये रुपये 37,55,34,000 की भी अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 68,10,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4215
-------------	------

मद क्रमांक 9-10

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन कर पेयजल व्यवस्था एवं औजार संयंत्र हेतु राज्यांश की राशि रुपये 1254.84 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,54,84,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	21
मुख्य शीर्ष	2059

मद क्रमांक 1 - 5

मंडल की स्थापना के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा लोक सेवकों को समयमान वेतनमान तथा छठवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर अतिरिक्त व्यय के कारण रुपये 277.87 लाख की राशि अनुपूरक बजट में शामिल की जा रही है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,77,87,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 - 7

आवास एवं पर्यावरण विभाग अन्तर्गत विद्युत एवं यांत्रिकी संभाग एवं उप संभाग योजना अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा लोक सेवकों को समयमान वेतनमान तथा छठवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर अतिरिक्त व्यय के कारण रुपये 3.44 लाख की राशि अनुपूरक बजट में शामिल की जा रही है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,44,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 - 11

आवास एवं पर्यावरण विभाग के तीन निर्माण उप संभाग की स्थापना अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा लोक सेवकों को समयमान वेतनमान तथा छठवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर अतिरिक्त व्यय के कारण रुपये 38.05 लाख की राशि बजट में शामिल की जा रही है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	22
मुख्य शीर्ष	2217

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश सफाई कामगार आयोग में परिवहन व्यवस्था पर अतिरिक्त व्यय के कारण रुपये 3.46 लाख की राशि अनुपूरक बजट में शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,46,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

नगर पालिका कर्मचारियों की पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा लोक सेवकों को समयमान वेतनमान तथा छठवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर अतिरिक्त व्यय के कारण रुपये 5.19 लाख की राशि बजट में शामिल की जा रही है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,19,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 6

नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय हेतु राज्य शासन द्वारा लोक सेवकों को समयमान वेतनमान तथा वर्ष 2009-10 में छठवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर हुये आधिक्य व्यय के कारण रुपये 50.90 लाख की राशि बजट में शामिल की जा रही है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

केन्द्रीय लागत पूंजी अनुदान योजना इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सेनीटेशन स्कीम (आई.एल.सी.एस.) के अन्तर्गत केन्द्रांश की राशि में से 15 प्रतिशत राज्यांश रुपये 9.60 लाख तथा केन्द्रांश रुपये 48.00 लाख सम्मिलित कर नगरीय निकायों को योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 57.60 लाख का व्यय होना संभवित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 57,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	23
मुख्य शीर्ष	2700

मद क्रमांक 1-14

जल संसाधन विभाग की विभिन्न सिंचाई योजनाओं के विद्युत देयकों के भुगतान हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है। यह राशि विद्युत कंपनियों को भुगतान की जाने पर विद्युत उत्पादन कंपनियां उपयोग किये गये जल से संबंधित शुल्क का भुगतान विभाग को करेंगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15 - 18

वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, ग्रेड-पे में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण राशि रुपये 1,30,53,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,30,53,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

वेतन में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण राशि रुपये 26,89,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,89,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2701
-------------	------

मद क्रमांक 20 - 23

वेतन, महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, ग्रेड-पे में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण रुपये 89,23,000 के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 89,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24 - 26

महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, ग्रेड-पे में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण रुपये 1,18,02,000 के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,18,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 27 - 28

महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण रुपये 7,18,79,000 के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,18,79,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 29 - 33

वेतन/कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कार्य/महंगाई भत्ता एवं ग्रेड पे में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण राशि रुपये 13,55,60,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,55,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 34 - 36

वेतन, महंगाई भत्ता, ग्रेड पे में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण राशि रुपये 33,58,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,58,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 37 - 40

वेतन, महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, ग्रेड-पे में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण राशि रुपये 1,24,02,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,24,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 41 - 44

वेतन, कार्यभारित, आक्सिमिक, महंगाई भत्ता, ग्रेड-पे में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण राशि रुपये 1,44,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,44,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 45 - 48

वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, ग्रेड-पे में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण राशि रुपये 27,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 49 - 52

वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, ग्रेड-पे में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण राशि रुपये 2,06,86,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,06,86,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 53

जल संसाधन विभाग की विभिन्न सिंचाई योजनाओं के विद्युत देयकों के भुगतान हेतु रुपये 5.00 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है। यह राशि विद्युत कंपनियों को भुगतान की जाने पर विद्युत उत्पादन कंपनियां उपयोग किये गये जल से संबंधित शुल्क का भुगतान विभाग को करेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 54 - 57

वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, ग्रेड-पे में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण राशि रुपये 2,33,04,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,33,04,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 58 - 61

वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, ग्रेड-पे में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण राशि रुपये 58,94,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 58,94,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 62 - 65

वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, ग्रेड-पे में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण राशि रुपये 1,84,51,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,84,51,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 66 - 69

वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, ग्रेड-पे में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण राशि रुपये 1,91,36,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,91,36,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 70 - 73

वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, ग्रेड-पे में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण राशि रुपये 1,35,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,35,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 74

नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु रुपये 53,42,85,800 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 53,42,85,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 75 - 76

वेतन भत्ते, ग्रेड-पे में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण राशि रुपये 56,48,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 56,48,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 77 - 80

वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, ग्रेड-पे में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण राशि रुपये 2,70,87,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,70,87,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 81 - 83

वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता, ग्रेड-पे में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण राशि रुपये 48,16,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 48,16,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 84 - 86

वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता, ग्रेड-पे में अतिरिक्त आवश्यकता के कारण राशि रुपये 23,98,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,98,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 87-91

बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लघु सिंचाई, निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनाओं, सुधार, सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना, उद्धवन सिंचाई योजनाओं का सुधार, नहर क्षमता की पुनः प्राप्ति एवं नवीन लघु सिंचाई योजनाओं के लिये रुपये 1,06,44,86,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,06,44,86,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4705

मद क्रमांक 92

बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत कमान क्षेत्र विकास राजधानी अन्तर्गत रुपये 33,94,28,600 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,06,44,86,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24

मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 1

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत रुपये 246.75 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। यह आवश्यकता कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों का वेतन मद में वृद्धि के कारण है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,46,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 4

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत रुपये 385.37 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। यह आवश्यकता वेतन, ग्रेड-पे आदि के वृद्धि के कारण है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,85,37,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 5

राज्य में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर पुलों का निर्माण कराया जाना है। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	लागत	2009-10 में
				संभावित व्यय

1.	बालाघाट	सिवनी बालाघाट गोंडिया राज्य मार्ग क्र.-11 (महाराष्ट्र सीमा रजेगांव तक) के कि.मी. 21/2 पर घिसरी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	615.90	5.00
2.	नरसिंहपुर	पांडाझिर नदी पर पक्का पुल का निर्माण	210.00	1.00
3.	सीहोर	ग्राम जैत के पास पीलिया नाले पर पुल निर्माण	147.61	1.00
4.	मुरैना	जिला मुरैना के पोरसा कोलुआ मार्ग में किरमिच के पास क्वारी नदी पर पुल निर्माण	437.50	1.00
5.	हरदा	ग्राम छीपानेर हरदा एवं बड़ी छीपानेर सिहोर के मध्य नर्मदा नदी पर पुल सर्वे कार्य	500.00	1.00

व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

राज्य में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित रेल्वे ओव्हर /अण्डर ब्रिज का निर्माण कराया जाना है। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	लागत	2009-10 में
				संभावित व्यय

1. सतना	मैहर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-7 के कि.मी. 301/10 में रेल्वें ओव्हर ब्रिज का निर्माण	1833.42	25.00
2. जबलपुर	जबलपुर शहर में आधारताल व्हीकल फैक्ट्री मार्ग में शाभापुर रेल्वें क्रासिंग पर ओव्हर ब्रिज का निर्माण	1780.00	25.00
3. गुना	गुना बजरंगगढ़ मार्ग से रेल्वें क्रासिंग क्र.-64 ए/टी पर रेल्वें ओव्हर ब्रिज का निर्माण	1270.12	25.00
4. नरसिंहपुर	करेली अण्डर ब्रिज में सीमेंट कांक्रीट मार्ग का निर्माण एवं अण्डर ब्रिज	279.41	5.00
5. सीहोर	बुधनी में रेल्वें क्रासिंग क्र.-237 पर रेल्वें अण्डर ब्रिज का निर्माण	580.00	5.00

व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निम्नांकित मार्गों का निर्माण कार्य कराया जाना है। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लं. (कि.मी.)	लागत	वर्ष 2009-10
					में संभावित व्यय
1.	शाजापुर	आगर-सारंगपुर-शादीपुरा-जामनबागंज मनकामनेश्वर-मोहनब दोरिया मार्ग	19.50	1134.92	3.00
2.	होशंगाबाद	सोनासावरी से सांवलखेड़ा मार्ग	11.68	586.22	2.00
3.	रायसेन	ओबेदुल्लाहंज-भोजपुर मंदिर मार्ग	15.30	1144.96	3.00
4.	भिण्ड	लाहर से स्वैथा मार्ग	18.20	752.08	2.00
5.	मुरैना	विजयपुर-सबलगढ़ मार्ग	18.00	1233.55	3.00
6.	सागर	खरई-रजवास मार्ग	14.00	795.21	2.00
7.	सीधी	सीधी-कामरजी-मउगंज मार्ग	15.00	758.10	2.00
8.	कटनी	झुकेही-केमौर-हर्या-भट्टा मार्ग	21.80	537.56	2.00
9.	बड़वानी	बोकराटा-खेतिया मार्ग	15.00	661.76	2.00
10.	खरगौन	सनावद-खरगौन मार्ग पर पुलियों का चौड़ीकरण कार्य	0.00	809.48	3.00
11.	खरगौन	भिकनगांव-झीरनीय-पंड्या मार्ग	20.00	768.03	3.00
12.	धार	कुक्षी-डही-कावड़ा मार्ग	15.00	880.81	3.00
13.	इंदौर	पलासिया इन्टरसेक्शन के साथ मांगलिया सी.सी. मार्ग सहित फलाई ओवर	2.00	2886.00	5.00
14.	सतना	सतना-सेपरिया मार्ग	20.00	1598.94	3.00
15.	पन्ना	अमानगंज से गुन्हौर मार्ग	15.00	604.69	2.00
16.	राजगढ़	माचलपुर से खिलची लिंक रोड़ का निर्माण (एन.ए.च.-12)	17.60	638.45	2.00
17.	जबलपुर	चरगवां-कुलोन-बिजना-नयानगर-सुख दरगढ़ा-दमन-खसरिया मार्ग	18.00	1040.97	3.00
18.	बैतूल	सारनी से सोतीया तक रजौआधाट पर पुल	0.00	397.31	1.00
19.	होशंगाबाद	सिवनी-मालवा से शिवपुर मार्ग	18.40	909.95	2.00

20.	होशंगाबाद	खपराखेड़ा से चांदोन मार्ग	15.30	790.61	2.00
21.	रतलाम	गोगापुर से ताल मार्ग	15.00	668.20	2.00
22.	छिंदवाड़ा	खमारा-देतला-लोहारबती-छोरबती निशनजनोजी-निकंठी मार्ग	15.00	910.13	3.00
23.	छिंदवाड़ा	गोरईया-लिखारी-लाहोरा-तुमरा बामहनवाड़ा मार्ग	11.00	612.92	3.00
24.	छिंदवाड़ा	कुंदा-सागर-किरनगिपार-कापुरोड़ा सर्फ-गोहदाबाड़ी मार्ग	12.00	705.42	3.00
25.	छिंदवाड़ा	सरना-पलटवाड़ा-शिवपुरी मार्ग	18.90	1087.67	3.00
26.	छिंदवाड़ा	सावरी-मुक्ष्वर-मोरडोंगरी-उमरेठ मार्ग	21.00	1199.50	3.00

व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

जिला सीहोर के छैःदरा (एन.एच.-69) से पातालखोह पहुंच मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.10 कि.मी. लागत राशि रुपये 187.98 लाख से कराया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

मध्यप्रदेश सङ्केत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न मार्गों का निर्माण कार्य कराया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी। कार्यों की विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्रमांक	जिला	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत वर्ष 2009-10	में संभावित व्यय
1.	सतना	सुंदर-सहंपुर कोठी जैतवारा बिरसिंहपुर सेमरिया मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 52) चौड़ीकरण, सृद्धीकरण एवं उन्नयन हेतु	85.30	10964.88	10.00
2.	खरगोन, खण्डवा, इंदौर	इन्दौर ऐदलाबाद राज्य मार्ग पर बड़वाह सनावद बाईपास मार्ग का निर्माण	18.50	4656.17	10.00

उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

राज्य में आवागमन की सुविधा हेतु मार्गों का निर्माण कराया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत वर्ष 2009-10 में	संभावित व्यय
1.	हरदा	खिकिया मोरगढ़ मार्ग का निर्माण	35.90	2390.76	10.00
2.	खण्डवा	खण्डवा से मून्दी मार्ग का निर्माण	32.60	2648.15	10.00
3.	इंदौर	इंदौर कनाड़िया से सेमलिया चाउ मार्ग का निर्माण	16.45	1578.71	8.00

4. नीमच जावद सरदानिया महारा मोडी कुण्डला 26.00 1347.62 7.00
मार्ग

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

राज्य में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नाबार्ड सहायता के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण कराया जाना है। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-
(राशि लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लं. (कि.मी.)	लागत	वर्ष 2009-10 में संभावित व्यय
1.	भिण्ड	नेरल से मिहोनी माता मंदिर मार्ग का 6.00 निर्माण		156.25	1.00
2.	भिण्ड	काथा-हीरापुर से लहार मार्ग का निर्माण	7.40	194.05	1.00
3.	भिण्ड	श्यामपुर से राहवली उबारी मार्ग का निर्माण	7.40	244.29	1.00
				योग	594.59 3.00

व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

राज्य में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मार्गों का निर्माण कराया जाना है। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-
(राशि लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लं. (कि.मी.)	लागत	वर्ष 2009-10 में संभावित व्यय
1.	छिंदवाड़ा	पोनिया पेंच पुल से टाप से पिपरिया खाती	4.20	155.93	1.00
2.	छिंदवाड़ा	तिघरा से पौनार मार्ग	3.00	132.97	1.00
3.	छिंदवाड़ा	इकलोहरा रिछेड़ा धनसिया डोरली महुआ	8.50	431.85	1.00
4.	छिंदवाड़ा	बीजागोरा से भुवारी मार्ग	4.00	210.11	1.00
5.	छिंदवाड़ा	केदारपुर जमुनियाकलां मार्ग	4.30	132.02	1.00
6.	छिंदवाड़ा	भुवेरा से भायागोरा मार्ग	2.50	191.04	1.00
7.	सीहोर	धौलपुर से बालागांव मार्ग का निर्माण	4.00	145.19	1.00
8.	सीहोर	धौलपुर से बगवाड़ा मार्ग का निर्माण	4.00	171.17	1.00
9.	सतना	सिविल लाईन चौक से अण्डर ब्रिज पहुंच मार्ग	2.08	615.70	1.00
10.	विदिशा	क्षिरनिया-सोंथर-हरदिया-आदमपुर ^{गोवरेला-देवराजपुर} मार्ग का निर्माण	25.00	957.00	1.00
11.	जबलपुर	समाधी-ब्रहानोदा मार्ग का निर्माण	5.20	225.88	1.00
12.	सिवनी	सर्वे-हिर्वे से सागर मार्ग का निर्माण	5.25	248.67	1.00

व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

राज्य में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मार्गों का निर्माण कराया जाना है। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	लं. (कि.मी.)	लागत 2009-10 में	संभवित व्यय
1.	दतिया	दतिया शहर स्थित चुनगर फाटक से ग्वालियर झांसी मार्ग	2.00	124.76	2.00
2.	दतिया	सिविल लाईन मार्ग से ग्वालियर झांसी हेतु बायपास मार्ग	2.00	118.50	2.00
3.	दतिया	राजगढ़ फाटक से दतिया भाण्डेर मार्ग हेतु बायपास मार्ग	2.00	116.32	2.00
4.	दतिया	दतिया बस स्टैण्ड से ग्वालियर झांसी बायपास मार्ग	3.50	128.08	2.00

व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

राज्य में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मार्गों का निर्माण कराया जाना है। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	लं. (कि.मी.)	लागत 2009-10 में	संभवित व्यय
1.	सिवनी	गोकलपुर-शुक्ला-ओझाटोला मार्ग	8.90	399.00	3.00
2.	सिवनी	खूंट-पोनिया मार्ग	4.10	237.16	2.00
3.	सिवनी	ईश्वरपुर-पचपेढ़ी-गुंगलई मार्ग	9.20	347.70	3.00
4.	सिवनी	पिपरिया-धपारा मार्ग	6.10	243.00	2.00
5.	खरगौन	खरगौन-मागरूल मार्ग	4.00	108.66	2.00
6.	खरगौन	निमरानी साठपुर मार्ग	12.00	419.18	3.00
7.	शिवपुरी	भडौता से देहरदा (गणेश) मार्ग	4.00	166.00	2.00
8.	मुरैना	पचौरी का पुरा से पलपुरा	12.00	502.34	3.00
9.	मुरैना	बरौली से उमेदगढ़ वासी मार्ग	3.00	113.58	2.00
10.	दतिया	हिनौतिया से चिरोल मार्ग	4.00	177.76	2.00
11.	दतिया	इंदरगढ़-पिछोर मार्ग	9.10	251.73	3.00
12.	दतिया	इंदरगढ़-गोराघाट वाया सेनपुरा एवं रुरा	7.00	273.54	3.00
13.	दतिया	गोराघाट-इंदरगढ़ से जुझारपुर वाया खजूरी	8.00	255.49	3.00
14.	दतिया	दतिया-सेवड़ा मार्ग से ग्वालियर झांसी बायपास मार्ग	4.20	131.27	2.00
15.	दतिया	बड़ौनी से सोनागिर पहुंच मार्ग	4.40	165.33	2.00
16.	कटनीटिकुरी-बड़खेड़ा पहाड़ी मार्ग		11.45	443.04	4.00
17.	कटनीमुहास	लालपुर पाली मार्ग	11.00	376.00	3.00
18.	देवास	बांगर बेरागढ़ हिरली मार्ग	9.20	307.93	3.00
19.	देवास	राबड़िया सिदनी फतेहपुर फाटा मार्ग	5.00	255.07	3.00
20.	देवास	काटाफोड़ सिंगलादेह मार्ग	9.80	612.51	4.00
21.	देवास	किटिया से सिरालिया मार्ग	2.50	205.28	3.00
22.	देवास	उमेड़ा से हरनगांव मार्ग	4.00	195.78	2.00

23.	देवास	सामगी से कमलापुर व्हाया केलोद मार्ग	4.00	144.68	2.00
24.	देवास	किटिया से सिया मार्ग	3.50	124.82	2.00
25.	छतरपुर	अलीपुरा चुखारी मार्ग में सी.सी. रोड़	7.00	233.91	2.00
26.	छतरपुर	परिक्रमा मार्ग छतरपुर सी.सी. रोड़	5.40	288.18	2.00
27.	छतरपुर	टाऊन मार्ग छतरपुर	7.96	471.94	4.00
28.	छतरपुर	हरद्वार बम्होरी पुरवा मार्ग	8.00	151.06	2.00
29.	रायसेन	नयापुरा से गोकुलकुण्डी पहुंच मार्ग	4.00	153.97	2.00
30.	टीकमगढ़	टीकमगढ़ सुधासागर अहार मार्ग	7.00	202.02	2.00
31.	उज्जैन	इंदौर उज्जैन मार्ग के कि.मी. 51/4 से 54/4 तक महामृत्युन्जय द्वार से तीन बत्ती चौराहे तक मार्ग का चौड़ीकरण	3.00	394.17	2.00
32.	उज्जैन	उज्जैन देवास मार्ग के कि.मी. 182/2 से 186/6 तक (नागझिरी से रेलवे स्टेशन मार्ग का चौड़ीकरण)	4.25	937.24	5.00
33.	होशंगाबाद	सोहागपुर-मढ़ई मार्ग	7.00	210.00	3.00
34.	रीवा	विकासखण्ड सेमरिया तहसील सेमरिया के अन्तर्गत चन्द्रपुर मोड़ से बरौ बाजार तक	4.50	130.00	2.00
35.	मुरैना	मुरैना शहर में ए.बी. रोड से नैनागढ़ मार्ग का निर्माण	1.90	203.85	1.00
36.	सीहोर	जमोनिया कलां से बगबाड़ा तक मार्ग निर्माण	3.50	124.44	1.00
37.	विदिशा	ग्राम पांझ मार्ग	3.80	167.28	1.00
38.	नीमच	भडभडिया जावद अठाना सुखानंद मार्ग	21.30	989.82	1.00
39.	अनुपपुर	अमगवां से पौड़ी मार्ग	12.60	417.07	1.00
40.	शिवपुरी	सांपरबाड़ा दुल्हरा मार्ग	6.40	180.47	1.00
41.	शिवपुरी	बीलवारामाता से बेरजा मार्ग	5.80	232.48	1.00
42.	कटनी	मुहास कठौतिया गोदाना मार्ग	11.00	396.27	1.00
43.	रायसेन	चारगांव से सलैया समनापुर काढी मार्ग	6.00	265.07	1.00
44.	रायसेन	एन.एच. 12 पर बाड़ी से बरोडिया खुर्द कनवार मार्ग	6.50	295.46	1.00
45.	बुरहानपुर	बुरहानपुर बायपास मार्ग हेतु भू-अर्जन	15.00	275.98	1.00
46.	रायसेन	खण्डावर सुल्तान नगर रोड से जोनताला नान भेंट मार्ग तक	2.70	128.55	1.00
47.	मण्डला	गोन्झी केरेगांव चीचगांव चिरिङ डोंगरी मार्ग का उन्नतीकरण	15.60	517.68	1.00
48.	मण्डला	निवासी मोहगांव गौराघापर सगोनिया बंधा मार्ग	12.50	467.02	1.00
49.	नरसिंहपुर	गोटेगांव बायपास हेतु भू-अर्जन	6.90	293.00	1.00
50.	नरसिंहपुर	ग्राम बधवार से आमगांव रोड का निर्माण	3.50	184.31	1.00
51.	नरसिंहपुर	चरगवां से गुंदरई मार्ग	2.55	219.90	1.00

व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

अन्तर्राजीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों के अन्तर्गत जिला बैतूल में मुलताई-पट्टन-बरूड़ मार्ग लम्बाई 26.40 कि.मी. (महाराष्ट्र सीमा तक) लागत रुपये 2438.10 लाख एवं जिला गुना में भौर-मीनीपुरा-बमोरी-बिशनवडा मार्ग का उन्नयन और विशनवडा से महेन्द्र (राजस्थान सीमा तक) निर्माण रुपये 1028.49 लाख से कराया जाना है। वर्ष 2009-10 में रुपये 5.00 लाख का व्यय होना संभावित है। उक्त व्यय केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत जिसमें व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 50 प्रतिशत राज्यांश का होगा। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

म.प्र. सड़क विकास निगम के द्वारा बी.ओ.टी. योजना अन्तर्गत मार्गों का निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। कार्य की लागत से कंसेशन अवधि में एजेन्सी को प्राप्त होने वाली राशि कम होने के कारण भरपाई के लिये अतिरिक्त राशि (वायवलटी गेप फण्ड) भारत सरकार द्वारा दी जाती है। उक्त वायवलटी गेप फण्ड राशि को राज्य के बजट के माध्यम से भारत शासन से प्राप्त कराने के लिये नवीन मद निर्मित करना आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	25
मुख्य शीर्ष	2853

मद क्रमांक 1 - 5

खनिज साधन विभाग के अन्तर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एरियर्स हेतु स्वीकृत बजट से रुपये 122.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,22,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 - 24

खनिज विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिये अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि में स्वीकृत बजट से रुपये 103.12 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,03,12,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	26
मुख्य शीर्ष	2202

मद क्रमांक 1

ललित कला संस्थान योजना अन्तर्गत छठवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर हुये अतिरिक्त व्यय के कारण रुपये 7.66 लाख की राशि अनुपूरक बजट में शामिल की जा रही है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,66,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

संगीत महाविद्यालय योजना अन्तर्गत समयमान वेतनमान तथा छठवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर हुये अतिरिक्त व्यय के कारण रुपये 22.82 लाख की राशि अनुपूरक बजट में शामिल की जा रही है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,82,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2205
-------------	------

मद क्रमांक 3

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हेतु रुपये 20.00 लाख का अग्रिम राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति अनुपूरक अनुमान में प्रावधान कर की जानी है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

रवीन्द्र भवन का स्थापना व्यय अंतर्गत बिजली देयक के भुगतान हेतु रुपये 2.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 7

राज्य पुरालेख संचालनालय योजना अन्तर्गत समयमान वेतनमान तथा छठवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर हुये अतिरिक्त व्यय के कारण रुपये

10.84 लाख की राशि अनुपूरक बजट में शामिल की जा रही है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,84,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 - 11

संस्कृति विभाग के अन्तर्गत संग्रहालय योजना में समयमान वेतनमान तथा छठवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर हुये अतिरिक्त व्यय के कारण रुपये 46.00 लाख की राशि अनुपूरक बजट में शामिल की जा रही है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 46,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

प्रादेशिक एवं स्थानीय संग्रहालयों के विकास एवं विस्तार योजना के अन्तर्गत महाराजा छतसाल संग्रहालय धुवेला जिला छतरपुर के सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्य के लिये रुपये 6.25 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् पोषण अनुदान योजना अन्तर्गत समयमान वेतनमान तथा छठवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर हुये अतिरिक्त व्यय के कारण रुपये 50.00 लाख की राशि अनुपूरक बजट में शामिल की जा रही है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

भारत भवन प्रशासनिक व्यवस्था योजनान्तर्गत वेतन भत्ते के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 40.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 15

रानी अवंतीबाई शहीद स्थल योजनान्तर्गत जिला डिण्डोरी में दो स्थानों पर रानी अवंतीबाई की मूर्तियां स्थापित करने हेतु राशि रुपये 19.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	27
मुख्य शीर्ष	2202

मद क्रमांक 1-8,10-22

छठवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर हुये अतिरिक्त व्यय के कारण रुपये 1,78,90,47,000 की राशि अनुपूरक बजट में शामिल की जा रही है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,78,90,47,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9, 23

डिक्री के भुगतान में भारित मद में रुपये 1,50,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 28

मद क्रमांक 1

विधानसभा के अन्तर्गत पीठसीन अधिकारियों के सम्मेलन से संबंधित व्यवस्थाओं हेतु रुपये 1.00 करोड़ का अग्रिम राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है।

अतः अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	29
मुख्य शीर्ष	2014

मद क्रमांक 1

न्यायालय के अन्तर्गत विशिष्ट व्यक्तियों के शासकीय आवासों की साज-सज्जा पर रुपये 45.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इंदौर की स्थापना पर कस्टोमाइज वर्क स्टेशन संबंधी कार्य पर रुपये 7.79 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,79,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

उच्च न्यायालय के अन्तर्गत परिवहन व्यवस्था पर रुपये 2.70 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,70,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 9

उच्च न्यायालय के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया, अन्य भत्ते तथा ग्रेडपे मद आदि में रुपये 1505.87 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,05,87,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10-13

उच्च न्यायालय के अन्तर्गत नवीन सिविल जिला अशोक नगर, बुरहानपुर, उमरिया, अनुपपुर, डिंडोरी एवं अलीराजपुर के जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ अपर जिला न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के उपयोग हेतु वाहन क्रय किया जाना है, जिस पर रुपये 60.00 लाख का व्यय होना संभावित है। इसके अलावा वेतन, महंगाई भत्ता व ग्रेड-पे को शामिल करते हुए रुपये 23,21,89,000 का कुल व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,21,86,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	30
मुख्य शीर्ष	2515

मद क्रमांक 1 - 4

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत जल संरचना का सुधार, पुनरुद्धार एवं पुनर्भरण तथा खेत तालाब योजना के लिये रुपये 68,20,00,000 की आवश्यकता है। इस राशि में से रुपये 54,56,00,000 सामान्य के लिये तथा रुपये 13,64,00,000 अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये होगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 68,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4515
-------------	------

मद क्रमांक 5

ग्वालियर जिले की डबरा तहसील के अंतर्गत बिल्लौआ थाना से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टील प्रोसेसिंग यूनिट तक मार्ग के निर्माण हेतु रुपये 4.68 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,68,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	32
मुख्य शीर्ष	2215

मद क्रमांक 1

जनसंपर्क विभाग के अन्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार हेतु रुपये 28,50,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2220
-------------	------

मद क्रमांक 2 - 5

जनसंपर्क विभाग के अन्तर्गत वेतन, कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता मद में रुपये 1,74,70,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,74,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6-7

जनसंपर्क विभाग के अन्तर्गत निर्देशन एवं प्रशासन के अन्तर्गत डाक तार एवं विज्ञापन एवं प्रचार हेतु राशि रुपये 252.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,52,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

जनसंपर्क विभाग के अन्तर्गत विशेष अवसरों पर प्रचार-प्रसार हेतु रुपये 250.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

जनसंपर्क विभाग में चलचित्र ईकाई के अन्तर्गत विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार मद में रुपये 9.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

जनसंपर्क विभाग के अन्तर्गत विज्ञापन प्रचार-प्रसार हेतु रुपये 30,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	34
मुख्य शीर्ष	2235

मद क्रमांक 1

संचालक, समाज कल्याण के अंतर्गत अन्य आकस्मिक व्यय के लिये वेतन भत्तों के लिये रुपये 12,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	35
मुख्य शीर्ष	2235

मद क्रमांक 1

पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन, भत्तों के अन्तर्गत राशि रुपये 6,14,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	36
मुख्य शीर्ष	2041

मद क्रमांक 1 - 4

राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण कार्यालय के वेतन, मजदूरी मद में रुपये 5,82,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है। राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,82,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 8, 11-15

परिवहन आयुक्त कार्यालय के वेतन, भत्ते, ग्रेड-पे, किराया महसूल और स्थानीय कर आदि के अन्तर्गत रुपये 239.30 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। उक्त राशि में से रुपये 99,000 किराये की राशि के अलावा शेष राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,39,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9 - 10

परिवहन आयुक्त कार्यालय के अन्तर्गत स्वीकृत बजट के अतिरिक्त लेखन सामग्री एवं फार्म हेतु रुपये 5.00 लाख एवं परिवहन व्यवस्था हेतु रुपये 18.00 लाख कुल रुपये 23.00 लाख अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	37
मुख्य शीर्ष	3452

मद क्रमांक 1 - 2

पर्यटन संचालनालय के अन्तर्गत समयमान वेतनमान तथा छठवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर अतिरिक्त व्यय के कारण रुपये 30,000 की राशि अनुपूरक बजट में शामिल की जा रही है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	5452
-------------	------

मद क्रमांक 3

पर्यटन विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पर्यटकों को स्थापित मानकों के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध कराये जाने एवं अधोसंरचना का विकास हेतु राशि रुपये 1184.38 लाख की राशि अनुपूरक बजट में शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,84,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	39
मुख्य शीर्ष	2408

मद क्रमांक 1

संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिये सहायक अनुदान में रुपये 61,59,68,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 61,59,68,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये अन्न योजनान्तर्गत रुपये 5691.61 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 56,91,61,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 5

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के लिये वेतन भत्तों में रुपये 108.21 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,08,21,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3475

मद क्रमांक 6 - 7

नियंत्रक, नापतौल, म.प्र. के लिये स्वीकृत वेतन भत्तों में रुपये 66.52 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 66,52,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4408

मद क्रमांक 8-9

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत खाद्य भण्डार गृहों की विपणन व्यवस्था हेतु रुपये 35,74,91,800 की आवश्यकता है। इस राशि में से रुपये 34,87,73,600 सामान्य के लिये तथा रुपये 87,18,200 अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये होंगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,74,91,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	41
मुख्य शीर्ष	2202

मद क्रमांक 1 - 3

आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित प्राथमिक शालाओं के अमले के वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता एवं ग्रेड पे मद में स्वीकृत बजट से रुपये 4,59,33,000 के अधिक व्यय होने की संभावना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 4,59,33,000 की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,59,33,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 6

आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित माध्यमिक शालाओं के अमले के वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता एवं ग्रेड पे मद में स्वीकृत बजट से रुपये 5,01,15,000 के अधिक व्यय होने की संभावना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 5,01,15,000 की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,01,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित उच्चतर माध्यमिक शालाओं के अमले के वेतन भत्ते मद में स्वीकृत बजट से रुपये 74,86,000 के अधिक व्यय होने की संभावना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 74,86,000 की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 74,86,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 - 9

आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित हाई स्कूलों के अमले के वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता मद में स्वीकृत बजट से रुपये 1,55,21,000 के अधिक व्यय होने की संभावना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 1,55,21,000 की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,55,21,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

आदिवासी क्षेत्रों उपयोजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला हॉकी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु नेशनल स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट फण्ड भारत सरकार को रुपये 50.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई जानी है तथा प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में कुल रुपये 150.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11 - 15

खेल अकादमियों की स्थापना योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

प्रदेश की योजनाओं के क्रियान्वयन, उपलब्धियों का प्रचार एवं प्रसार हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17 - 19

व्यवसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत कार्यरत अमले के बेतन भत्ते, महंगाई भत्ता एवं ग्रेड पे मद में स्वीकृत बजट से रुपये 1,22,99,000 के अधिक व्यय होने की संभावना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 1,22,99,000 की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,22,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

भारत सरकार द्वारा केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए संरक्षण सह-विकास योजना अंतर्गत राशि निर्गमित की जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 1808.06 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,08,06,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21 - 22

आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित मिनी आई. टी. आई. की स्थापना के अमले के बेतन भत्ते, महंगाई भत्ता मद में स्वीकृत बजट से रुपये 5,38,000 के अधिक व्यय होने की संभावना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 5,38,000 की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23 - 25

विश्व बैंक की सहायता से गहन विस्तार परियोजना अंतर्गत बेतन भत्ते, महंगाई भत्ता एवं ग्रेड पे मद में स्वीकृत बजट से रुपये 3,35,61,000 के अधिक व्यय होने की संभावना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 3,35,61,000 की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,35,61,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 26 - 28

अधिनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द योजना अंतर्गत वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता एवं ग्रेड पे मद में स्वीकृत बजट से रुपये 24,55,000 के अधिक व्यय होने की संभावना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 24,55,000 की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,55,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2402

मद क्रमांक 29 - 31

शुष्क कृषि क्षेत्र में जलग्रहण का विकास योजना अंतर्गत वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता एवं ग्रेड पे मद में स्वीकृत बजट से रुपये 23,19,000 के अधिक व्यय होने की संभावना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 23,19,000 की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,19,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 32 - 34

मुख्य कार्यपालन अधिकारीयों का वेतन योजना अंतर्गत वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता एवं ग्रेड पे मद में स्वीकृत बजट से रुपये 12,54,000 के अधिक व्यय होने की संभावना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 12,54,000 की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,54,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 35

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा 33 छातावास भवनों के निर्माण हेतु रुपये 87.00 लाख प्रति भवन के मान से स्वीकृति प्रदान की है। इस हेतु वर्ष 2009-10 में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त राज्यांश तथा केन्द्रांश के रूप में रुपये 1891.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,91,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 36

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा नक्सल प्रभावी क्षेत्र बालाघाट के आदिवासी बालक आश्रम गिडोरी में आश्रम शाला भवनों के निर्माण लागत रुपये 95.00 लाख से स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रों के 52 आश्रम शाला भवनों के निर्माण लागत रुपये 95.00 लाख प्रति भवन के मान से स्वीकृति दी गई है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 794.89 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,94,89,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 42

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर पुल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत
<hr/>			
1.	छिन्दवाड़ा बेरडी - सायरा - परतापुर मार्ग के कन्हान नदी पर जलमग्नीय पुल		676.54
2.	सिवनी केवलारी मलारा मार्ग के कि.मी. 3/10 में बैनगंगा नदी पर पुल		239.03

उपरोक्त कार्यों पर वित्तीय वर्ष में रुपये 170.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सड़क परिवाहन, सड़क और राज मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित 6 सड़कों के लागत रुपये 6141.90 लाख से निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (रु. लाख में)
1.	छिंदवाड़ा	राजड़ोगरी - देवराला पीपलानी बोरगांव तीगाव मार्ग	14.00	799.13
2.	छिंदवाड़ा	मोहगांवदेवली जमालपानी मार्गम दुकारक्षेला मार्ग	26.00	1310.74
3.	छिंदवाड़ा	नीमधाना हिरोदागढ़ मार्ग	7.00	606.99
4.	छिंदवाड़ा	शंख से हालालखु मार्ग पर पेच नदी पर पुल		427.76
5.	छिंदवाड़ा	सौसर रजना मार्ग	20.20	1812.29
6.	छिंदवाड़ा	मुलताई मार्ग से रोहना - गुरारिया पुवमा मार्ग	10.00	1184.99

इस हेतु वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

राज्य राजमार्ग का उन्नयन (एम. पी. आर. डी. सी.) योजना अंतर्गत निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 1153.59 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,53,59,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर सड़कों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	(राशि लाख में)	लागत
1.	छिन्दवाड़ा	सिरस से धमनिया मार्ग	4.00	159.65	
2.	छिन्दवाड़ा	बेमल्या से हीरावाडी मार्ग	6.00	244.49	
3.	सतना	हिरौदी से कुलगर्ग मार्ग	6.00	134.28	
4.	सतना	कोर्दननाथ कुल्हरिया भाकुल बाबा	4.80	119.72	
5.	मण्डला	सुरजपुरा कन्हरगांव डोभी जैतपुरी तुमेगांव छतरवाडा मार्ग	10.70	380.67	
6.	मण्डला	बीजेगांव भरवेली पुत्तरा खर्सीपार मार्ग	18.10	592.42	
7.	मण्डला	मोहगांव बसगढ़ी मार्ग	7.10	264.03	
8.	कटनी	देवरापुर मुहास मार्ग	4.20	141.12	

उपरोक्त कार्यों पर वित्तीय वर्ष में रुपये 160.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

सड़क परिवाहन, सड़क और राज मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है।

क्र. जिला	कार्य का नाम	लागत (रु. लाख में)
1. बालाघाट	विकास खण्ड बैहर के सालेटेकरी - गंडई मार्ग के कि.मी. 15,16,18,19,20 से 20.8 और 42 से 54/4 राज्य मार्ग	1271.71

इस हेतु वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रूपये 127.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 1,27,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	43
मुख्य शीर्ष	2204

मद क्रमांक 1 - 3

वेतन भत्तों, ग्रेड-पे में राशि रूपये 76,85,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 76,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

भारतीय महिला हॉकी इंडिया टीम के उत्थान हेतु नेशनल स्पोर्ट्स डेव्लपमेंट फण्ड भारत सरकार को रूपये 50.00 लाख की राशि तथा अब्दुल्ला खाँ गोल्डकप हॉकी प्रतियोगिता हेतु राशि रूपये 20.00 लाख खिलाड़ियों को प्रोत्साहन योजना मद से उपलब्ध कराई गई है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	44
मुख्य शीर्ष	2202

मद क्रमांक 1 - 3

निजी वि.वि. स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2007 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप वेतन भत्तों में रूपये 24,99,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 24,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	45
मुख्य शीर्ष	2702

मद क्रमांक 1

जल संसाधन विभाग की विभिन्न सिंचाई योजनाओं के विद्युत देयकों के भुगतान हेतु राशि रूपये 25.00 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है। यह राशि विद्युत कंपनी को भुगतान की जाने पर विद्युत उत्पादन कंपनी उपयोग किये गये जल से संबंधित शुल्क का भुगतान विभाग को करेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4702
-------------	------

मद क्रमांक 2

प्रदेश की निम्नांकित 2 लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाओं में रूपये 2,85,98,000 के व्यय की संभावना है।

क्रमांक योजना का नाम जिला अनुमानित लागत अनुदान की राशि

1. सेमरा बियर	सागर	147.11	100
2. हरसिंह माता बियर	सागर	138.87	100

	योग	285.98	200

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

जल भरण संरचनाओं के सुधार, नवीनीकरण एवं पुनरुद्धार योजना अन्तर्गत (पायलेट प्रोजेक्ट) राशि रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है। यह राशि भारत सरकार से प्राप्त होगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

लघु सिंचाई निर्माण कार्य अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 834.59 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,34,59,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	47
मुख्य शीर्ष	2203

मद क्रमांक 1 - 5

छठवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर हुये अतिरिक्त व्यय के कारण रुपये 3,47,95,000 के अनुपूरक अनुमान में राशि शामिल की जाना है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,47,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2230
-------------	------

मद क्रमांक 6 - 16

छठवें वेतनमान की अनुशंसा के आधार पर हुये अतिरिक्त व्यय के कारण रुपये 4,93,06,000 के अनुपूरक अनुमान में राशि शामिल की जाना है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,93,06,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4202
-------------	------

मद क्रमांक 17

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दितिया, उमरिया, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रायसेन, कटनी, अनूपपुर, अलीराजपुर, 9 पॉलीटेक्निक हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ के मान से 18.00 करोड़ तथा शिवपुरी, डिंडौरी, रीवा, श्योपुर एवं सीधी में पॉलीटेक्निक संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ के मान से 25.00 करोड़ इस प्रकार कुल राशि रुपये 43.00 करोड़ उपलब्ध कराये गये हैं।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 43,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	48
मुख्य शीर्ष	4700

मद क्रमांक 1

बरगी नहर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य में रुपये 3849.39 लाख के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,49,39,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	49
-------------	----

मद क्रमांक 1

वेतन मद में वर्तमान में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त राशि रुपये 26.83 लाख की और आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,83,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

वेतन मद में वर्तमान में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त राशि रुपये 4.22 लाख की और आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,22,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 4

वेतन एवं मजदूरी मदों में वर्तमान में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त राशि रुपये 87.09 लाख की और आवश्यकता है। वेतन मद की राशि रुपये 30.54 लाख की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 87,09,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	52
मुख्य शीर्ष	3604

मद क्रमांक 1

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों की पंचयातों के मूलभूत कार्यों के लिये आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 3339.01 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,39,01,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	55
मुख्य शीर्ष	2235

मद क्रमांक 1 - 2

महिला बाल विकास के अन्तर्गत वेतन, ग्रेड-पे मद में राशि रुपये 95.86 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। उक्त व्यय की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 95,86,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 4

महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत वेतन मद में राशि रुपये 10,14,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत वेतन मद में कुल राशि रुपये 1507.76 लाख में से केन्द्रांश राशि रुपये 1356.99 लाख एवं राज्यांश रुपये 150.77 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,07,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	56
मुख्य शीर्ष	2851

मद क्रमांक 1 - 6

आयुक्त, हाथकरघा के अन्तर्गत वेतन भत्तों के लिये रुपये 1,93,17,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,93,17,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 - 10

आयुक्त, रेशम भोपाल के अन्तर्गत वेतन भत्तों के लिये रुपये 1,33,22,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,33,22,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	58
मुख्य शीर्ष	2245

मद क्रमांक 1

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि मद में भारत शासन से प्राप्त राशि रुपये 40.53 करोड़ प्राप्त होने से इस राशि का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 40,53,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	62
मुख्य शीर्ष	2515

मद क्रमांक 1 - 2

संचालक, पंचायत के अन्तर्गत वेतन भत्तों इत्यादि के लिये रुपये 9,27,97,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,27,97,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	64
मुख्य शीर्ष	2204

मद क्रमांक 1

अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की महिला हॉकी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु नेशनल स्पोर्ट्स डेव्लपमेंट फण्ड भारत सरकार को रुपये 23.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई जानी है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 23.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2230
-------------	------

मद क्रमांक 2 - 4

अंबेडकर औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के अमले के वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता एवं ग्रेड पे मद में स्वीकृत बजट से रुपये 22,53,000 के अधिक व्यय होने की संभावना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 22,53,000 की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,53,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4202
-------------	------

मद क्रमांक 5

खेल अकादमियों की स्थापना योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 7

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों की समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना हेतु स्वीकृत बजट से रुपये 4,79,62,000 के अधिक व्यय होने की संभावना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 4,79,62,000 की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 64 मुख्य शीर्ष 2215 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,79,62,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 8

राज्य राजमार्ग का उन्नयन (एम. पी. आर. डी. सी.) योजना अंतर्गत निर्माण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 403.19 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,03,19,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

प्रदेश के अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर सड़कों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत
1.	टीकमगढ़	जतारा चंदेरा खरी मार्ग से चंदेरा पार्सन मे सी.सी. रोड एवं नाली का निर्माण	2.20	130.00

उपरोक्त कार्यों पर वित्तीय वर्ष में रुपये 200.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 66
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना के रूप में चिन्हांकित किया गया है। अतः पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राशि रुपये 10553.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,05,53,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 67
मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 1

मांग संख्या 67-2059 आयोजनेतर मतदेय के अन्तर्गत कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन हेतु रुपये 197.02 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,97,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

मांग संख्या 67-2059 आयोजनेतर मतदेय के अन्तर्गत वेतन मद में रुपये 1163.05 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,63,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 3

मांग संख्या 67-2216 आयोजनेतर के अन्तर्गत कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन मद में रुपये 393.63 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। यह आवश्यकता वेतन, ग्रेड-पे आदि के वृद्धि के कारण है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 2070 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,93,63,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 4

निपांकित जिलों में भवन निर्माण कराया जाना है। कार्यों का विवरण निपानुसार है:-

(राशि लाख में)

क्र. जिला	कार्य का नाम	लागत	2009-10 में	संभावित व्यय
1. सिंगरौली	बैढ़न जिला सिंगरौली में विश्राम भवन का निर्माण	129.14	5.00	
2. मंदसौर	जिला मंदसौर की मल्हारगढ़ तहसील में विश्रामगृह का निर्माण	100.00	5.00	

व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75
मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन के अन्तर्गत अर्बन ट्रान्सपोर्ट हेतु बसों का क्रय किया जाना है, जिसपर राशि रुपये 1,00,00,00,000 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 2

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन में रुपये 3480.02 लाख की राशि की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 34,80,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 77
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1-11,14-16

छठवें वेतनमान की अनुशंसा के कारण वेतन भत्तों आदि पर रुपये 44,43,27,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है। उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या

06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 44,43,27,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 12

सैनिक स्कूल रीवा को रख-रखाव, विशेष मरम्मत एवं विस्तार कार्य के लिये पोषण अनुदान के रूप में राशि रुपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 13

मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम से क्रय की गई पुस्तकों के भुगतान हेतु मांग संख्या 41 मुख्य शीर्ष 2202 से रुपये 5.00 करोड़ समर्पित कर उपलब्ध कराई जायेगी ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2204

मद क्रमांक 17

राष्ट्रीय छात सेवा के अन्तर्गत वेतन भत्तों के कारण राशि रुपये 14,43,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है । उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,43,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 18 - 20

छठवें वेतनमान की अनुशंसा के कारण वेतन भत्ते आदि में रुपये 35,68,000 राशि की अतिरिक्त आवश्यकता है । उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,68,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या	78
मुख्य शीर्ष	2401

मद क्रमांक 1 - 4

संचालक, उद्यानिकी के लिये वेतन भत्ते इत्यादि के लिये रुपये 6,53,89,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है । उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,53,89,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या	80
मुख्य शीर्ष	2202

मद क्रमांक 1

हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन के फलस्वरूप हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में पदस्थ संविदा शिक्षकों को वेतन भत्तों के कारण राशि रुपये 2303.40 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है । उक्त राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 शीर्ष-2070 से समर्पित कर की जावेगी ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,03,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 2

ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु किये गये प्रावधान में केन्द्रांश की राशि के प्रावधान हेतु रुपये 557.38 लाख की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,57,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

निविरोध निर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों को पुरस्कार देने हेतु (तिस्तरीय पुरस्कार अन्तर्गत) रुपये 2.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अन्तर्गत राज्यांश की राशि रुपये 377.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,77,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण मद में रुपये 2200.00 लाख अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की जानी है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

संचालक, पंचायत के लिये सहायक अनुदान में स्वीकृत बजट से रुपये 16,36,02,000 के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,36,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

प्रदेश में पांच नवीन जिला पंचायत भवनों का निर्माण किया जाना है। ये भवन अनूपपुर, बुरहानपुर, भोपाल, सिंगराली एवं अलीराजपुर में निर्मित किये जायेंगे। इस पर रुपये 500.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।